जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 32 संख्याः 259 प्रभात उदयपुर, मंगलवार 22 जुलाई, 2025 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

अपनी अवहेलना से दुःखी धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया

अवहेलना का कारण, शायद मोदी सरकार व उनके बीच बढ़ते गम्भीर मतभेद थे

- धनखड़ महसूस कर रहे थे, कि उन्हें वह ओहदा नहीं मिल रहा था, जो उन्हें उपराष्ट्रपति होने के कारण स्वाभाविक तौर पर वैसे ही मिलना चाहिए था। उदाहरण के लिए, जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति वैन्स भारत यात्रा पर आए थे तो धनखड़ के साथ उनकी मुलाकात आयोजित नहीं की गई थी, और इससे धनखड़ काफी क्षुब्ध थे, काफी आहत महसूस कर रहे थे।
- न्यायाधीश वर्मा के इम्पीचमैंट को लेकर भी समस्या थी। कछ पार्टियों, जिनमें प्रमुख पार्टी मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी है, ने इन्कार कर दिया था, महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से, न्यायाधीश वर्मा काफी नज़दीक माने जाते थे, मुलायम सिंह यादव के। कई वरिष्ठ वकील भी न्यायाधीश वर्मा के ''इम्पीचमैंट'' के खिलाफ थे।
- सरकार चाहती थी, महाभियोग के मसले पर, विपक्ष (मुख्य रूप से कांग्रेस) के लोकसभा सदस्य भी हस्ताक्षर करते, पर, कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का तर्क था, उनके सांसद , राज्यसभा में हस्ताक्षर कर चुके हैं।
- धनखड़ के खिलाफ शिकायत यह भी थी, कि, वे योगी आदित्यनाथ की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे, तथा यू.पी. की भी कुछ ज्यादा ही यात्रा कर रहे थे।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 जुलाई। यह पहला अवसर है, जब भारत के किसी पदासीन उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है।

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के साथ ही, वे राज्यसभा के सभापति पद से भी स्वत: ही हट गए हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है।

लेकिन सूत्रों का कहना है कि असली वजह कुछ और है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन यह बड़ा और चौंकाने वाला घटनाक्रम हुआ है, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही पर असर पड़ सकता है।

धनखड़ 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे और उनका कार्यकाल 2027 तक था।

ऐसी अपुष्ट खबरें हैं कि मोदी सरकार के साथ गंभीर मतभेदों के चलते उनसे इस्तीफा देने को कहा गया।

हाल के दिनों में, वे सरकार से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे और उन्हें उचित सम्मान और प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा था। बताया जाता है कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति वेंस से उनकी मुलाकात नहीं हुई, जिससे उन्हें काफी ठेस पहुंची।

सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच मतभेद के साथ-साथ,उनका स्वास्थ्य भी एक मुद्दा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ समय पहले उनसे मिलने गए थे।

जस्टिस वर्मा के महाभियोग को लेकर भी विवाद था।

कुछ विपक्षी दलों, जैसे समाजवादी पार्टी, ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था क्योंकि जस्टिस वर्मा मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते थे।

कई वरिष्ठ वकील भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का विरोध कर रहे थे।

सरकार केवल लोकसभा में महाभियोग लाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस ने कहा कि आपके पास 100 से ज्यादा सांसद हैं, आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एयर इंडिया के तीनों टायर फटे, हादसा टला

नई दिल्ली, 21 जुलाई। मुंबई एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह एअर इंडिया का एआई 2744 प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया। ये विमान कोच्चि से मुंबई आया था। मुंबई में भारी बारिश के कारण रनवे पर फिसलन थी, जिससे विमान रनवे से 16 से 17 मीटर दूर घास पर चला गया।

ये हादसा सुबह 9:27 बजे हुआ। तस्वीरों में दिखा कि विमान के दाहिने इंजन के नैसेल (ढक्कन) को नुकसान पहुंचा है। इस घटना के बाद विमान को पार्किंग तक लाया गया, जहां सभी यात्री और क्रू मैम्बर्स को उतारा गया। इस दौरान विमान के तीन टायर फट गए।

- एआई 2744 विमान मुम्बई में लैंडिंग के दौरान फिसल कर 16-17 मीटर घास पर चला गया।

एअर इंडिया ने बताया कि हादसे में किसी पैसेंजर या क्रू मेंबर को नुकसान नहीं पहुंचा है, हालांकि मुंबई एयरपोर्ट का मेन रनवे, 09/27 क्षतिग्रस्त हुआ है। रनवे पर फ्लाइट्स की आवाजाही बंद कर दी गई है। रनवे के किनारे तीन साइनेज बोर्ड और चार लाइटें भी टूट गईं।

न्यायाधीश वर्मा के ''इम्पीचमैंट'' नोटिस पर सौ लोकसभा सदस्यों ने हस्ताक्षर किए

संसद में ''इम्पीचमैंट'' (महाअभियोग) के प्रस्ताव पर कम से कम सौ लोकसभा सदस्यों व 50 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, सदन में प्रस्ताव बहस के लिए पेश होने के लिए

- राज्यसभा के मार्क्सवादी सदस्य जॉन ब्रिटास व साम्यवादी पार्टी के संदोष कुमार ने मुद्दा उठाया, कि, न्यायाधीश शेखर यादव के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है, जबकि संसद न्यायाधीश वर्मा के खिलाफ महाअभियोग के मामले पर विचार कर रही है।
- मुख्य न्यायाधीश गवई ने, महाधिवक्ता नेदुमपरा के व्यवहार पर नाराज़गी व्यक्त की, जब उन्होंने न्यायाधीश वर्मा को वर्मा कहकर सम्बोधित किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ''न्यायाधीश वर्मा हाईकोर्ट के सम्मानित जज हैं, उन्हें ''वर्मा'' कह कर सम्बोधित करना, उनका अपमान है।
- अधिवक्ता, नेदुमपरा का तर्क था, कि न्यायालय को इस मामले में दिल्ली पुलिस को एफ.आई.आर. दर्ज करके, जांच करनी चाहिए।

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 21 जुलाई। दिल्ली में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में, संसद में उन्हें हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। लोकसभा के 100 से अधिक सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ज्ञातव्य है कि जब नकदी मिलने की घटना हुई थी, तब वे दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे।

महाभियोग प्रस्ताव संविधान के तहत किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, जिसके लिए प्रस्ताव पर लोकसभा के कम से कम 100 और राज्यसभा के कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं।

केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि इस प्रस्ताव को सदन में कब पेश किया जाएगा, यह संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी।

शनिवार को राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास (माकपा) और पी. संतोष कुमार (भाकपा) ने न्यायमूर्ति शेखर यादव के खिलाफ, उनकी कथित साम्प्रदायिक टिप्पणियों के कारण लाए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की तारीफ की

प्र.मंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों ने विदेशों में भारत के लिए सकारात्मक माहौल बनाया

- प्र.मंत्री ने संसद सत्र से पूर्व पत्रकारों से औपचारिक सम्बोधन में कहा कि विपक्षी दलों व सांसदों ने देश के लिए एकता का प्रदर्शन किया।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 जुलाई। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए वैश्विक संपर्क कार्यक्रम (ग्लोबल आउटरीच) में सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह भारत की साझा शक्ति और विश्व मंच पर बढ़ते सम्मान का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल की सराहना की जिन्होंने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के वैश्विक संपर्क अभियान के तहत विभिन्न देशों की यात्रा की। उन्होंने कहा, सांसदों और उनकी पार्टियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सकारात्मक माहौल बनाया है। इस प्रयास में उनका योगदान प्रशंसनीय है।

प्रधानमंत्री ने कहा, ''ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया उसे हमे आगे बढ़ाना चाहिए, और जिस तरह देश ने संसद में एकजुटता दिखाई, वह अनुकरणीय है।

मोदी ने यह भी कहा कि वर्तमान मानसून सत्र देश के लिए ''गौरवपूर्ण मानसून सत्र'' है, खासकर इसलिए कि भारत ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को भेजा है और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी अहम सफलताएं हासिल की हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत, आतंकियों के आकाओं के घर 22 मिनट में जमींदोज़ कर दिए गए। दुनिया इस नई भारतीय सैन्य ताकत से बहुत प्रभावित है।

उन्होंने आगे कहा, आजकल जब भी मैं विदेशी नेताओं से मिलता हूं, तो मुझे ''मेड इन इंडिया'' हथियारों में गहरी रुचि दिखाई देती है। भारत की रक्षा निर्माण शक्ति को वैश्विक पहचान मिल रही है।

रेल्वे पेपरलीक में 8 आरोपियों को सजा

नयी दिल्ली, 21 जुलाई। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अहमदाबाद स्थित अदालत के विशेष न्यायाधीश ने रेलवे पेपर लीक मामले में सोमवार को आठ आरोपियों को पाँच-पाँच वर्ष के साधारण कारावास और पांच-पांच लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई।

ये सभी रेलवे के पूर्व कर्मचारी हैं और इन्हें यह सजा आपराधिक षडयंत्र, चोरी, चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने या रखने, अपराध के साक्ष्य को गायब करने और आपराधिक कदाचार के मामले में सुनाई गई है।

- सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आठ को 5 साल की कैद व 5-5 लाख रु. के जुर्माने की सजा सुनाई। सभी आरोपी रेल्वे के पूर्व कर्मचारी हैं।

सीबीआई ने तत्कालीन मुख्य सतर्कता निरीक्षक, पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद की शिकायत के आधार पर, अगस्त 2002में राजेश गोस्वामी,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिकन अदालतों ने 75 प्रतिशत फैसले ट्रम्प के खिलाफ सुनाये

वाशिंगटन, 21 जुलाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के नए कार्यकाल की शुरुआत से अमेरिकी अदालतों ने 75 प्रतिशत मामलों में उनके खिलाफ फैसला सुनाया है और वर्तमान कार्यकारी शाखा के फैसलों को चुनौती दी है या स्थगित किया है। समाचार पत्र वाशिंगटन टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी।

- ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के पहले 6 माह में उनके कार्यकारी निर्णयों के खिलाफ 500 मुकदमे हुए अर्थात प्रति कार्य दिवस चार मुकदमे।

रिपोर्ट के अनुसार अपने छह महीने के कार्यकाल के दौरान ट्रंप को अपनी कार्यकारी शाखा के कार्यों को चुनौती देने वाले कम से कम 500 मुकदमों का सामना करना पड़ा है, जो प्रति कार्यदिवस चार मुकदमों के बराबर है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने लोकसभा नहीं चलने दी

हंगामे के कारण बार-बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, फिर चार बजे पूरे दिन के लिए लोकसभा स्थगित कर दी गई

- विपक्ष, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा की मांग कर रहा था, सरकार की ओर से चर्चा के आश्वासन के बाद भी विपक्षी नेता नारेबाजी करते रहे।
- दोनों सदनों में कांग्रेस के सांसद काला स्कार्फ बांध कर आए थे।
- दूसरे दिन भी संसद में भारी हंगामा होने की संभावना है क्योंकि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विदेशी दौरे पर नाराजगी जता रहा है, विपक्ष का कहना है प्र.मंत्री को सदन में होना चाहिए।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 जुलाई। संसद के महीने भर चलने वाले मानसून सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों ने सदन नहीं चलने दिया, क्योंकि नाराज विपक्षी सांसद पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर तुरंत बहस की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे और उन्होंने सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित की। इसके चलते, सदन चार बार स्थगन करना पड़ा और अंतत: सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

सरकार ने दोनों सदनों में इन मुद्दों पर पूरी बहस कराने की पेशकश कर दी थी, उसके बाद भी भारी हंगामा हुआ। यहां तक कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने हस्तक्षेप करते हुये कहा कि सरकार किसी बहस से भाग नहीं रही है, लेकिन फिर भी विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए वैल में खड़े रहे और तुरंत बहस की मांग पर अड़े रहे। विपक्ष ने दावा किया कि उन्होंने कम से कम 20 मुद्दों पर बहस के लिए नोटिस दिए हैं।

हंगामे की शुरुआत प्रश्नकाल के दौरान ही हो गई, जिससे स्पीकर ओम बिड़ला ने मजबूरन सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिये स्थगित कर दिया। इसके बाद कार्यवाही बार-बार स्थगित होती रही और अंत में भाजपा के दिलीप सैकिया द्वारा दोपहर 4 बजे के आसपास पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

राज्यसभा में अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के कुशल संचालन के कारण वहां ऐसा कोई हंगामा नहीं हुआ। उन्होंने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पहलगाम मुद्दा उठाने का अवसर दिया और फिर सदन के नेता व स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को यह आश्वासन देने दिया कि इस पर पूरी बहस कराई जाएगी। इससे पहले कि विपक्ष अन्य मुद्दे उठाता, धनखड़ ने राज्यसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया और कहा कि पहलगाम बहस के लिए समय सदन की कार्य संचालन समिति तय करेगी।

कांग्रेस के सांसद, जिनमें सोनिया गांधी भी शामिल थीं, दोनों सदनों में काले स्कार्फ पहनकर पहुंचे थे, जो उनके विरोध का प्रतीक था। वहीं, राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष पर, विपक्ष

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक बार फिर मोदी विदेश यात्रा पर निकले, जब संसद का सत्र चल रहा है

राहुल गांधी ने इस पर टिप्पणी की, ''मोदी अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं''

- सरकारी सूत्रों ने विदेश यात्रा को सही ठहराते हुए कहा, ''यात्रा का कार्यक्रम पूर्व निश्चित था, तथा यह यात्रा राजनीतिक रणनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।''
- सरकार के आलोचकों ने प्रत्युत्तर में कहा है, सरकार की प्राथमिकता क्या है, देश में प्रजातंत्र को पोषित करना, क्योंकि, संसद निर्णायक भूमिका रखती है, प्रजातंत्रीय व्यवस्था में, क्योंकि किसी भी बहस के लिए यह देश का सबसे बड़ा मंच है।
- साथ ही मालदीव की चीन के नज़दीक जाने की इच्छा के कारण भारत-मालदीव रिश्ते इतने कमज़ोर कभी नहीं रहे।
- साथ ही, ब्रिटेन की इकॉनमी की स्थिति भी इस वक्त ज्यादा मजबूत नहीं है, महंगाई, राजनीतिक स्थिरता, तथा घटते राजनीतिक प्रभाव के कारण। अतः ब्रिटेन भारत के लिए खास उपयोगी साबित नहीं हो सकता।

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 21 जुलाई। संसद का मानसून सत्र सोमवार को शुरू हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस दौरान विदेश यात्रा पर जाने को लेकर विपक्षी दलों ने तीखा विरोध जताया। संसद में जहां चुनावी सूची में संशोधन, बढ़ती बेरोजगारी, ऑपरेशन सिंदूर के प्रभाव और मणिपुर में तनाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, वहीं प्रधानमंत्री बुधवार को मालदीव और ब्रिटेन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। विपक्ष ने इसे गैर-जिम्मेदाराना और गैर-लोकतांत्रिक फैसला बताया है।

प्रधानमंत्री संसद भवन तो आए, लेकिन सिर्फ मीडिया को औपचारिक संबोधन देने के लिए, जो सत्र शुरू होने से पहले की परम्परा है। इसके बाद वे दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल हुए बिना निकल गए। माना जा रहा है कि उन्होंने अपने संसद कार्यालय से लोकसभा में विपक्ष के हंगामे को देखा।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर ''जवाबदेही से भागने का आरोप लगाया और कहा कि राष्ट्रीय संकट के समय संसद से दूरी बनाना लोकतांत्रिक कर्तव्य की अवमानना है।'' टीएमसी, सीपीआई (एम) और डीएमके के नेताओं ने भी यही बात दोहराई और कहा कि प्रधानमंत्री घरेलू ज़िम्मेदारियों से ज़्यादा विदेशी दिखावे को प्राथमिकता दे रहे हैं।

सरकारी सूत्रों ने इस दौरे का बचाव करते हुए इसे पहले से तय और रणनीतिक रूप से अहम बताया। लेकिन जानकारों का कहना है कि मोदी के इस दौरे, जिसमें वे मालदीव जा रहे हैं, की टाइमिंग कई सवाल खड़े करती है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)